न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 17 / 2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
जगदीश पुत्र गणेशजी, जाति ढोली,निवासी तोडमी, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.पारसमल पुत्र हरजी उर्फ हरिया, जाति ढोली,निवासी तोडमी, तहसील आहोर, जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत बांकली,जरिये सरपंच, नरपतसिंह पुत्र मेघसिंहजी, जाति राजपूत,निवासी आकोली, तहसील जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत बांकली, दिनांक 20.8.2004(पट्टा सं.29)

उपस्थिति :–
1-श्री नीखिल दवे, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.अप्रार्थी सं. 1 व 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 17.3.2020

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पिता गणेशजी व अप्रार्थी सं.1 के पिता हरजी उर्फ हरिया एवं श्री कालूरामजी तीनो सगे भाई है व गांव तोडमी के निवासी है, कालूरामजी का स्वर्गवास अविवाहित अवस्था में लाऔलाद हो चुका है, हरजी उर्फ हरिया के पुत्र पारस व रूपाराम थे, रूपाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी एक पुत्री पूजा है तथा हरिया के पिता का नाम नवाजी है, गांव तोडमी की आबादी में प्रार्थी व अप्रार्थी के दादा का एक आवासीय प्लॉट मय मकान आया हुआ है जिसके उतर में आम रास्ता, महेन्द्रसिंह, भगवतसिंह पिसरान् अचलसिंहजी का परिसर, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में कानाराम, भीमारामजी देवासी का मकान,पश्चिम में आम रास्ता है, कालूरामजी का अविवाहित अवस्था में फौत हो चुके है , इस कारण प्रार्थी के पिता गणेशा एवं अप्रार्थी के पिता हरिया उर्फ हरजी ने आपसी सहमति से उक्त परिसर का विभाजन कर लिया जिसके अनुसार उतरी हिस्सा हरिया का रहा व दक्षिणी हिस्सा गणेशा का रहा, अप्रार्थी नं.1 ने दिनांक 5.7.2004को सम्पूर्ण परिसर स्वयं का बताते हुए एवं

स्वयं को कालूरामजी का पुत्र बताते हुए पट्टा बनाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.8.2004को अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में सम्पूर्ण परिसर का पट्टा जारी किया , अप्रार्थी सं.1 ने कालूराम की सम्पति हडप करने के उद्देश्य से स्वयं के पुत्र पूरण प्रकाश को कालूराम उर्फ कालीया का गोदपुत्र होना बताया ,कालीया की मृत्यु दिनांक 28.8.2004को हो चुकी है, राजस्व रेकर्ड में पूरण प्रकाश गोद पुत्र कालीया दर्शाया गया है,जबकि वादग्रस्त परिसर के दक्षिणी हिस्से में प्रार्थी का टिनसेड मकान निर्मित है जिसमें प्रार्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया है , अप्रार्थी सं.1 के द्वारा जो पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया गया एवं उसके साथ नक्शा पेश किया उसमें कही पर भी क्या क्या निर्माण कार्य है, यह नही दर्शाया गया है, प्रार्थी व हरिया उर्फ हरजी के बीच दीवार निर्मित है जो आज भी मौके पर मौजूद है उसके बावजूद अप्रार्थी सं.2 ने सम्पूर्ण परिसर पर अप्रार्थी सं.1 का कब्जा एवं उसका मालिकाना मानते हुए पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं.2 ने दिनांक 5.7.2004को पत्रावली दर्ज की गई,उसी रोज मौका निरीक्षण हेतु पंच नियुक्त किये गये तथा पंचो द्वारा ग्राम पंचायत के मनोनीत वार्ड पंच द्वारा दिनांक 20.7.2004को मौका देखा गया, उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भी निर्माण कार्य के बारे में कोई अंकन नही है, न ही यह दर्शाया गया कि मकान कितना पुराना बनाया हुआ है तथा वार्ड पंचों द्वारा भी मौके की स्थिति के विपरीत अकेले अप्रार्थी सं.1का गलत तौर पर अस्पष्ट कब्जा दर्शाया गया है, अप्रार्थी सं.2 ने कानाराम के बयान दिनांक 20.7.2014को लेखबद्ध करना दर्शाया है, महेन्द्रसिंह व भगवानसिंह का संयुक्त बयान दिनांक 20.7.2004को लेखबद्ध करना दर्शाया है परन्तु बयानकर्ता के स्थान पर अचलसिंह के हस्ताक्षर है, आपत्ति इश्तिहार दिनांक 20.7.2004 को जारी करना दर्शाया गया है परन्तु उक्त आपत्ति इश्तिहार किन किन स्थानों पर किन किन मौतबिरों के सामने चस्पा किया गया ,उसका भी कोई उल्लेख आपत्ति इश्तिहार पर नहीं है,दो मौतबिरों की उपस्थिति में पंचायत में आम चौहट पर एवं वादग्रस्त परिसर पर चस्पा किया जाना आवश्यक है, दिनांक 20.8.2004 की आदेशिका में पट्टा शुल्क कितनी वसूल की जाये,उसका कोई उल्लेख नही है, जबकि आदेशिका के पास 200/—रूपये दिनांक 21.11.2004को रसीद सं. 46 के जरिये वसूल करने का उल्लेख किया गया है,ग्राम पंचायत ने पट्टा जैर निगरानी जारी करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी के परिवारजनों को नोटिस देकर कोई सूचना नही दी गई एवं न ही वारिसान् की जांच की गई कि कालूराम के कौन कौन वारिस है। पटटा की जानकारी प्रार्थी को कभी नहीं हुई दिनांक 21.8.2018को अप्रार्थी सं. 1 व उसकी पत्नि ने सम्पूर्ण परिसर का पट्टा अप्रार्थी सं.1 का दर्शाते हुए मय परिवार बेदखल करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में आवेदन कर पट्टा व अन्य दस्तावेजों की नकले मांग कर प्राप्त

की, तब जानकारी हुई। निगरानी हेतु कोई म्याद निर्धारित नही है, अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा जैर निगरानी अपास्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी में फहरिस्त के साथ पट्टा सं. 29 की प्रति, फोटो आदि पेश किये , जिस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.1 व 2 का नोटिस तारीख पेशी 29.10.18 का बाद तामील प्राप्त हुआ है लेकिन वे अनुपस्थित है।

3. प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई , प्रार्थी वकील ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि ग्राम तोडमी में प्रार्थी व अप्रार्थी के दादा का एक आवासीय प्लॉट मय मकान के आया हुआ है,अप्रार्थी सं. 1—पारसमल ने स्वयं को स्व.कालूराम का पुत्र बताते हुए अपने नाम पट्टा जारी करवा दिया, कालूराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थी के पिता गणेशजी व अप्रार्थी सं.1 के पिता हरजी एवं कालूरामजी तीना सगे भाई थे। अप्रार्थी सं.1 हरजी उर्फ हरिया का पुत्र है,रूपाराम पुत्र हरजी फौत हो चुका है,प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी के पिता ने आपसी सहमति से परिसर का विभाजन कर लिया जिसके अनुसार उतरी हिस्सा हरिया का रहा व दक्षिणी हिस्सा गणेशा का रहा , उक्त तमाम तथ्य को छिपाते हुए अप्रार्थी सं.1 ने दिनांक 5.7.2004को सम्पूर्ण परिसर स्वयं की बताते हुए ,स्वयं को कालूरामजी का पुत्र बताते हुए दिनांक 20.8.2004 को पट्टा ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवा लिया। अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा जैर निगरानी अपास्त करावे।

4. प्रार्थी की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्रामतोडमी की जमाबंदी संवत् 2071—2074 के अनुसार खसरा नम्बर 188 रकबा 3.53 हेक्टर भूमि जगदीश वल्द गणेशा 1/2हिस्सा तथा कालीया वल्द नवा 1/2हिस्सा थी, नामान्तरकरण सं. 268 दिनांक 21.5.2015 स्वीकृत होने पर कालीया पुत्र नवा 1/2की बजाय पूरणप्रकाश गोदपुत्र कालीया 1/2दर्ज किया गया तथा खसरा नम्बर 90,99 रकबा 2.75 हेक्टर में भी पूरणप्रकाश गोदपुत्र कालीया का अंकन किया गया, ग्राम तोडमी जमाबंदी संवत् 2071—2074 में खसरा नम्बर 81 रकबा 2.33 हेक्टर में बेबीदेवी पत्नि पारसमल व पारसराम वल्द हरिया इन्द्राज है।

ग्राम पंचायत बांकली द्वारा पट्टा सं.29 दिनांक 20.8.2004 पारसराम पुत्र कालूरामजी ढोली निवासी तोडमी के नाम जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी सं.1 हरिया का पुत्र था जिसकी ताईद जमाबंदी संवत् 2071—2074 के खाता सं.100 से हाती है।

पत्रावली पर ग्राम पंचायत बांकली द्वारा पट्टा सं.29 पारसराम पुत्र कालूराम के नाम जारी किया गया है।अप्रार्थी सं.1—पारसमल,कालूराम का पुत्र था या गोदपुत्र,

इसका कोई प्रमाण ग्राम पंचायत बांकली की पत्रावली पर नही है।

आदेश

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं.1 को जारी पट्टा सं.29 दिनांक 20.8.04 निरस्त किया जाता है व प्रकरण सरपंच, ग्राम पंचायत बांकली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर, आराजी पर कब्जे की जांच की जाकर तथा गोदनामें को पत्रावली पर लिया जाकर नियमानुसार पट्टा जारी करने बाबत् कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 17.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर